कार्यालय, जिला परिषद, समस्तीपुर।

आवश्यक सूचना

जिला परिषद माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2019 के हितवद्ध अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1228, दिनांक 29.07.2021 के द्वारा शिक्षक नियोजन कार्य से संबंधित नये निर्देश एवं समय तालिका उपलब्ध करायी गयी है। अतः विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 910, दिनांक 02.07.2021 द्वारा निर्धारित शिक्षक नियोजन कार्य अब नयी समय तालिका के अनुसार पूर्ण की जाएगी।

ह० ——

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, समस्तीपुर।

ज्ञापांक......54....../जि०प०, समस्तीपुर, दिनांक...30.07.21

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

30.7.21

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, समस्तीपुर।

बिहार सरकार
<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

अधिसूचना

संचिका संख्या : 11/नियोजन 02-01/2019 ......1228/ तत्कालीन प्रवृत बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(i)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या-1142 दिनांक-01.07.2019 के द्वारा किया गया। नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु संशोधित समय तालिका विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-02.07.2021 द्वारा निर्गत किया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 21746/2019 (शत्रुधन प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक-26.11.2020 तथा उक्त सी0डब्लू0जे0सी0 से उद्‌भूत एम0जे0सी0 संख्या 1224/2021 (शत्रुधन प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक-14.07.2021 को आदेश पारित के आलोक में नियोजन की उक्त कार्रवाई पर संमीक्षा की गयी।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक-26.11.2020 के आदेश में अंकित है कि " the respondents are directed to treat all the subjects under Social Sciences i.e. History, Geography, Political Science and Economics similar for awarding 5 marks in the process of selection and appointment of teachers and award 5 marks for honours in Economics and Political Science also on the same line as extended to the candidates of History Honours and Geography Honours particularly when it was done in the 1st , 2nd , 3rd and 4th phase appointment for final preparation of panel for selection and appointment of teachers. The respondents are hereby directed to adopt corrective measures before taking step for making appointment in the 5th phase."

4. पुनः उपरोक्त के क्रम में दिनांक 14.07.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के एम0जे0सी0 संख्या 1224/2021 (शत्रुधन प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश में अंकित है कि "It appears that due to inadvertence, in the order dated 26.11.2020, it has wrongly been typed as 5 th attempt and 5th phase instead of 6th attempt and 6th phase.

Considering the aforesaid, let the order dated 26.11.2020 be read as 6th attempt and 6th phase instead of 5th attempt and 5th phase."

5. उक्त नियमावली के नियम-6(5)(ख), जिसमें अंकित है कि स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी/समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 05 अंक जोड़ा जायेगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास/भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 05 अंक जोड़ने का निदेश विभागीय अधिसूचना संख्या-1142 दिनांक-01.07.2019 में अंकित है। इस प्रावधान पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना उक्त आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 05 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के अन्तर्गत लिया गया है। फलस्वरूप पूर्व से निर्मित मेधासूची में संशोधन आवश्यक है।

6. पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-20095/2019 (सुरेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) एवं संलग्न अन्य याचिकाओं में दिनांक-18.02.2020 को पारित आदेश के अन्तर्गत छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रियान्तर्गत रिक्त पदों की गणना 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर करने का आदेश था। इस हेतु आवश्यक निदेश विभागीय अधिसूचना संख्या 425 दिनांक-26.02.2020 के द्वारा दिया गया। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर दिनांक-25.03.2020 से प्रभावी लॉकडाउन के कारण उक्त

अधिसूचना में निहित निदेश के क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हो पाया तथा इसके समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि दिनांक–01.01.2019 से 30.06.2019 की अवधि में कुछेक नियोजन इकाई में उत्पन्न रिक्ति की गणना नहीं की गई है। फलस्वरूप कुछ ऐसे विषयों में भी रिक्ति उत्पन्न हो गई है, जो पूर्व से विज्ञापित नहीं थी अथवा पूर्व से विज्ञापित कोटिवार रिक्ति से भिन्न नई कोटि में रिक्ति उत्पन्न हो गई। इस आलोक में पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत उत्पन्न इन नई रिक्तियों के विरूद्ध अर्हत्ताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने हेतु एक अवसर दिए जाने की बाध्यता है।

7. इस क्रम में, छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की उक्त प्रक्रियान्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–01.07.2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि यथा दिनांक–26.09.2019 निर्धारित थी। अतः पूर्व निर्धारित STET-2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके द्वारा दिनांक–26.09.2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित करते हों, वे ही आवेदन देने हेतु पात्र होंगे। साथ ही STET-2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो बी0एड0 सत्र 2016–18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हों तथा दिनांक–26.09.2019 तक परीक्षाफल प्रकाशित हो, हीं नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेगें।

नियोजन प्रक्रियान्तर्गत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या–910 दिनांक–02.07.2021 द्वारा निर्गत नियोजन संबंधित गतिविधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–01.07.2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया को निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है:–

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
1.	जिला द्वारा नियोजन इकाईवार दिनांक–30.06.2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना	02.08.2021 तक
2.	दिनांक–30.06.2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष विषयवार रोस्टर पंजी तैयार करना	04.08.2021 तक
3.	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लीयरेंस	10.08.2021 तक
4.	जिला द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को प्रेषित करना	13.08.2021 तक
5.	नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना का प्रकाशन	17.08.2021 तक
6.	आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि	18.08.2021 से 17.09.2021 तक
7.	औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी	18.09.2021 से 29.09.2021 तक
8.	औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	05.10.2021 तक
9.	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	08.10.2021 तक
10.	औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति	11.10.2021 से 03.11.2021 तक
11.	आपत्तियों का निराकरण	19.11.2021 तक
12.	आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन	22.11.2021 तक
13.	नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	25.11.2021
14.	जिला स्तर पर कैम्प करके नगर परिषद् के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	26.11.2021
15.	जिला स्तर पर कैम्प करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	27.11.2021

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
16.	जिला परिषद् के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	29.11.2021
17.	उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान/जॉच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद/शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन	02.12.2021 तक
18.	नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनीकरण	06.12.2021 तक
19.	अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के **NIC** के वेबसाईट पर प्रकाशन	10.12.2021 तक

9. नियोजन संबंधित उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसेलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तिथि का निर्धारण अलग से किया जाएगा।

10. उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत नियोजन की कार्रवाई से संबंधित निर्गत अन्य निदेश उक्त हद तक संशोधित समझें जायेंगे। शेष यथावत् रहेगा।

उक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से

29/7/21

(अरशद फिरोज)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 1228 पटना, दिनांक 29.7.21

प्रतिलिपिः (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/7/21

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 1228 पटना, दिनांक 29.7.21

प्रतिलिपिः (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर इस अधिसूचना को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/21

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

29/7/21